


566

559 1R



अधिवक्ता संजय मिंज  
 23 I A With the permission  
 by L.R.D.C Simdega  
 Case No-168/2018-19

order dt  
 15-9-18

Santay Mijang  
 3/10-18

विक्रय पत्र

लेख्यकारी:- श्री संजय मिंज पिता स्व० जोसेफ मिंज  
 जाति- उरावि, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी  
 सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।  
 आधार कार्ड संख्या 2920 1927 0721

... .. विक्रेता ।

अपथ-पत्र संख्या:- 407 / 2018  
 होल्डिंग नं० 0060000485 000रम.०

अचल संपत्ति  
 प्रतिबंधित की सूची में  
 इस पक्ष का रजिस्ट्रार  
 नगरी है।  
 04/10-18

श्री संजय मिंज  
 पिता स्व० जोसेफ मिंज  
 सजाप कुमा मेलना  
 अधिवक्ता  
 04/10-18


पंमोद प्रसाद पिता स्व० राजबहादुर भाज  
 ग्राम उल्लरपुर गंजी सिमडेगा  
 जिला सिमडेगा जिला सिमडेगा  
 3-10-18





क्रम संख्या ..7454.. ता. 27-9-2018  
 नाम ...अंजेली कांडा.....  
 ग्राम ...खिचरी पुखापानी सिमडेगा.....  
 जिला ...सिमडेगा.....  
 मूल्य ...1/-.....  
 महासचिव ..  
 जिला नगर दिये  
 महासचिव ..

बनश्याम महता  
 बनश्याम महता  
 (ग्रामाध्यक्ष)  
 सिमडेगा (सिमडेगा)  
 तारीख 27/9/18



Sanjay Minj

3-10-18  
4-10-18



04-10-18 10 to 1

व्यापक ...  
 अपराध से निवारण का उद्देश्य  
 प्रकृतता से ...  
 यह प्रकृतता सुनिश्चित हो सके  
 कि प्रकृतता सुनिश्चित हो सके  
 प्रकृतता सुनिश्चित हो सके  
 प्रकृतता सुनिश्चित हो सके



जिला अधिकारी संजय मिंज  
 जिला नगर दिये  
सिमडेगा  
 उपाय

[Signature]

॥2॥ लेखधारिणी:- अजला बाड़ा पति श्री अलौइस बाड़ा  
जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास गाम- खिजरी  
पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 3322 1630 4656

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

समय-पत्र संख्या:- 408/2018

॥3॥ लेखप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्राधिक  
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य:- मोबलिंग चार लाख साठ हजार रुपये अर्के 4,60,000/-  
रुपये होता है ।

॥5॥ सम्पत्ति:- एराजियात अदर मौजा- खिजरी पुष्पपुर,  
वार्ड नं० 6, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री  
ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 168 एक सौ अरसठ  
प्लॉट नं० 2315 एक सौ पन्द्रह एकड़ रकबा 0.24 एकड़ में से  
0.11½ एकड़ साठे ग्यारह डिसिमिल आवासीय जमीन, जिसपर  
किसी प्रकार का मकान या निमण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता वो दोन जुल्यूस खेत्स,

पूरब :- दोन जुकेल खेत्स,

पश्चिम:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 5 फीट कच्चा रास्ता ।

मालगुजारी 10 पैसा दस पैसा अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में  
बिक्री नहीं किया हूँ ।

जुमान सिंह

Secretary  
3.10.18

जुमान सिंह  
स्व. अरिजियात अदर मौजा  
खिजरी पुष्पपुर  
जिला - सिमडेगा  
3/10/18



॥१॥ चूंकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अय्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

॥२॥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

॥३॥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित जमीन मेरी माँ मेरी मिंज की खरीदगी जमीन है जिसका केवाला संख्या 664 दिनांक 07-10-1991 ई० है जिसका पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 36 पृष्ठ संख्या 247 से 250 है । दाखिल खारिज वाद संख्या 7 आर 27/92-93 है । पंजी II के भोल्युम नं० 8 के पृष्ठ संख्या 121 में मेरी माँ मेरी मिंज के नाम जमाबंदी कायम है एवं मालगुजारी रसीद वर्ष 2018-19 ई० तक निर्गत है । खतियान में जमीन कायमी दर्ज है । मेरी माँ एवं पिताजी का निधन हो चुका है । उनके निधन के पश्चात हम भाईयों के मध्य जमीनों का आपसी मौखिक भाई बंटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे नीज हिस्से एवं दखल कब्जे की जमीन है तथा किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । खतियान में खतियानी रैयत का नाम शुख उराँव वगैरह दर्ज है ।

Samy Minj  
3.10.18

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 168/2018-19 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 15.9.18 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 979१११ दिनांक 15.9.18 है।

§5§ अब चाहिए कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलदार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजूरआ के तहत नहीं है।

Ranjay Singh  
3-10-18



मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Sanjay Singh  
3.10.18



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाँधे हाथ का पाँचों अंगुलियों का दायें समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार महता

अधिकृत

3.10.18

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Angela Bara  
3.10.18



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाँधे हाथ का पाँचों अंगुलियों का दायें समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार महता  
अधिकृत  
3.10.18



उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार मठल

अधिवक्ता

प्रारूपकर्ता

3.10.18

तारीख:-

Sanjay ming  
3.10.18

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक  
मीठमकसुद  
3.10.18  
मो० मकसुद  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा ।

संलग्नक:-

1. बिक्रेता, क्रेता एवं पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. केवाला पट्टा, शुद्धि पत्र एवं मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
3. खतियान का छायाप्रति,
4. शेड्यूल का मूल प्रति,
5. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
6. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
7. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,
8. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,
9. क्रेता का शमथ-पत्र का मूल प्रति,